दिनाँक 31.8.2006 को सम्पन्न हुई कार्यकारी समिति की 43 वीं बैठक का कार्य विवरण

म.प्र.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यकारी समिति की 43 वीं बैठक दिनाँक 31.8.2006 को विज्ञान भवन के सभा कक्ष में डॉ. महेश शर्मा महानिदेशक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहें :-

1. डॉ.महेश शर्मा, महानिदेशक म.प्र.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल
2. श्री दिलीप मेहरा प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
3. प्रो.ए.डी.एन.वाजपेयी, कुलपति, अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. डॉ.आर.के.दुबे, अपर सचिव,म.प्र.शासन, प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि
5. श्री टी.आर.चेलम, वित्त सलाहकार, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि
6. डॉ. आर.आर.दास, पूर्व कुलपति
7. श्री टी.जी.के.मेनन, इन्दौर
8. डॉ. अजय नारंग, भोपाल
9. श्री शिवकुमार शर्मा, भोपाल
10. डॉ.एस.सिंह, संयुक्त संचालक, प्रशासन

सर्वप्रथम डॉ. महेश शर्मा महानिदेशक/अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा नवगठित कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक में सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक के कार्यसूची पर चर्चा आरम्भ हुई ।

1. कार्यकारी समिति की 42 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण की पुष्टि ।

42 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि हुई ।

2. कार्यकारी समिति की 42 वीं बैठक में लिये गये निर्णय का पालन-प्रतिवेदन

कार्यसूची कमांक-5 के संदर्भ में निर्णय हुआ कि परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा पेटेंट कार्य में अभी तक प्रगति की जानकारी कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये तथा म.प्र.शासन को भी उपलब्ध कराया जाये ।

कार्यसूची कमांक-10 के संबंध में निर्णय हुआ कि गौतम नगर स्थित भवनों के कर नियमानुसार नगर निगम को भुगतान किया जाये तथा पूरी जानकारी कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

कार्यसूची कमांक-17 के अन्तर्गत यह सूचित किया गया कि महानिदेशक स्तर के अधिकारियों को म.प्र.शासन में मोबाईल सुविधा प्रदान कर दी है ।

......2

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल

कार्यसूची कमांक–2.5 में कार्यकारी समिति ने यह निदेश दिया कि समुचित कार्यवाही के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, म.प्र.शासन को स्मरण–पत्र भेजा जाये ।

विशेष कार्यसूची ''वैज्ञानिकों के कार्य की प्रगति की समीक्षा '' के संदर्भ में कार्यकारी समिति ने निर्णय लिया कि इस विषय में भौतिक एवं गुणात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समुचित समीक्षा सुनिश्चित किया जाये ।

3. **राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण एवं गैर संस्थागत अन्वेषणों को प्रोत्साहित करने बाबत विशेष योजना लागू करने बाबत ।**

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं एवं व्यक्तियों के लिये वैज्ञानिक अन्वेषणों हेतु पुरस्कार दिये जायेंगे । मुख्यमंत्री से प्राप्त निर्देश को दृष्टि में रखते हुए कार्यकारी परिषद ने यह निर्णय लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं को वैज्ञानिक खोजों एवं तकनीकी नवाचार के लिए एक लाख रूपये का प्रथम पुरस्कार, 50 हजार रूपये का द्वितीय पुरस्कार एवं 30 हजार रूपये का तृतीय पुरस्कार मिलेगा । व्यक्तिगत श्रेणी में 50 हजार रूपये का प्रथम, 30 हजार रूपये का द्वितीय एवं 20 हजार रूपये का तृतीय पुरस्कार होगा । वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार इस वर्ष के लिए परिषद अपने संसाधनों से यह राशि देगी तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस हेतु अलग से प्रावधान किया जायेगा ।

4. **युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी/शैक्षणिक संस्थाओं में आयोजित करने बाबत ।**

म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस पर होने वाले युवा वैज्ञानिक कांग्रेस को व्यापक रूप देने के लिये यह निर्णय लिया गया कि यह समारोह AICTE (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एज्यूकेशन) से मान्यता प्राप्त किसी भी तकनीकी / शैक्षिक संस्थान में आयोजित किया जा सकता है । पिछले वर्षों में यह आयोजन केवल विश्वविद्यालयों में होता था ।

5. **माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कुछ नीतिगत बिन्दु**

मुख्यमंत्री महोदय से हुई चर्चा के संदर्भ में कुछ नीतिगत बिन्दुओं पर विचार विमर्श हुआ । यह निर्णय लिया गया कि इन बिन्दुओं पर माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आगे चर्चा होगी । इन बिन्दुओं में नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति, विज्ञान के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की ज्ञान परम्परा एवं विरासत का आधुनिक ढंग से संलेखन, नवाचारों को प्रोत्साहन तथा एक उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence) तथा वैज्ञानिक प्रगति का लाभ उपेक्षितसमाज को मिलना जैसे बिन्दु सम्मिलित है ।

.......3

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल

परिषद के अंकेक्षित लेखों को कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में

वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 के अंकेक्षित लेखों पर विचार हुआ । यह निर्णय हुआ वर्ष 2004–05 तथा वर्ष 2005–06 के लेखों का अंकेक्षण भी शीघ्र पूरा किया जाये ।

परिषद के वर्ष 2004–05, 2005–06 का वास्तविक प्राप्तियों तथा वर्ष 2006–07 का बजट अनुमान कार्यकारी समिति के अनुमोदन हेतु ।

आगामी बैठक में लेखा एवं बजट से संबंधित सभी विषयों पर पूरी चर्चा होगी । यह र्णय लिया गया कि एक वरिष्ठ लेखाधिकारी को सीमित अवधि के लिए परामर्शी के रूप में पद अनुबंधित करे तथा प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अन्य रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति शीघ्र कार्यवाही की जाये ।

विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) का गठन प्रथम श्रेणी हेतु ।

कार्यकारी समिति ने परिषद के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के चयन एवं पदोन्नति हेतु ति गठित करने का निर्णय लिया । इस समिति के अध्यक्ष महानिदेशक होंगे तथा स्यों में 2 विशेषज्ञ, म.प्र.शासन द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/जनजाति का एक निधि तथा परिषद के एक उच्चस्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे । दो विशेषज्ञों एवं परिषद अधिकारी का मनोनयन महानिदेशक करेंगे ।

शीघ्रलेखक ग्रेड–2 को मंत्रालय के निज सहायक के समान वेतनमान ।

समिति को अवगत किया गया कि शीघ्रलेखक ग्रेड–2 को कार्यकारी समिति की शा में वेतनमान 5500–9000 स्वीकृत करते हुए दिनॉक 1.1.86 से नोशनल वेतन रण कर दिनॉक 12.01.2003 से वित्तीय लाभ दिया गया है। समिति ने निर्देश दिये कि प्रकरण प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा ।

परिषद में कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी (गैर तकनीकी) कर्मचारियों को 9 वर्ष की सेवा उपरान्त उन्नत वेतनमान दिये जाने बाबत ।

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रकरण प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त/सामान्य सन विभाग को भेजा जाये ।

............4

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल

11. परिषद के कामकाज को सूचारू रूप से चलाने के लिए कार्यदल/समितियों का गठन ।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि शासन/मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में जिन विशेष समितियों एवं कार्यदलों का गठन प्रस्तावित किया गया है के साथ यह प्रस्ताव आगामी कार्यकारी समिति में प्रस्तुत किया जाये ।

12. परिषद की रजत जयंती वर्ष मनाने के संबंध में ।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मान्य किया गया ।

13. परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजन करने बाबत ।

नवगठित साधारण सभा की वार्षिक बैठक के बारे में मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करते हुए तिथि/स्थान तय करने का अधिकार महानिदेशक को दिया गया ।

14. कार्यकारी समिति की आगामी बैठक बुलाने बाबत ।

कार्यकारी समिति की आगामी बैठक अक्टूबर माह में होगी । अध्यक्ष द्वारा तिथि तय की जायेगी ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ ।

(डॉ.एस.सिंह)
संयुक्त संचालक (प्रशासन)
एवं संयोजक, कार्यकारी समिति

(डॉ.महेश शर्मा)
अध्यक्ष, कार्यकारी समिति

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल